भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 192*

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

माओवादियों द्वारा मारे गए लोगों को मुआवज़ा

***192. श्री भूपिंदर सिंह :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में माओवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के परिजनों को मुआवज़ा देने का विचार रखती है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में देश में माओवादियों द्वारा राज्य-वार मारे गए कुल लोगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 11.05.2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 192 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारत सरकार मारे गए आम नागरिकों को मुआवजे के तौर पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति उन्हें निम्नानुसार करती है:-

i. 'आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत केन्द्र सरकार सिविलियन पीड़ितों के परिवारों को प्रत्येक मृत्यु या स्थायी अशक्तता (50% या इससे अधिक अशक्तता) के लिए 3 लाख रु. की वित्तीय सहायता मुहैया कराती है, बशर्ते कि पीड़ित के किसी भी पारिवारिक सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो ।

ii. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिक के परिवार को दिए गए 1 लाख रुपए के अनुग्रह भुगतान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करती है ।

.....3/-

(ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए आम नागरिकों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	2013	2014	2015	2016 (30 अप्रैल तक)
आंध्र प्रदेश	10	4	8	5
बिहार	42	26	15	4
छत्तीसगढ़	67	52	53	26
झारखंड	122	94	52	29
मध्य प्रदेश	0	0	0	1
महाराष्ट्र	13	16	16	10
ओडिशा	28	26	25	10
तेलंगाना	0	4	2	0
कुल	282	222	171	85

*****